न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 29 / 2020 रे.वाद
दायर दिनांक – 17 / 09 / 2020
निर्णय दिनांक – 22 / 01 / 2025

अनवान

1. चन्द्रवीर सिह पिता भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. पुनम कंवर पिता भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
3. पुष्पा कंवर पत्नि भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

––वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद सिह पिता नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. मानवेन्द्रसिह पिता नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. लोकेन्द्र सिह पिता प्रहलाद सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 588 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 1

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि लगानी 1.14 पैसा होकर स्थित है। जिसके प्रमाण मे चालु जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी एव नक्शा ट्रेस कि प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। उक्त भूमी प्रार्थीगण के पिता भूर सिह से जरीये रजिस्टर्ड हकत्यागनामा से प्राप्त हुई उक्त भुमी के पुर्व खसरा संख्या 345/9 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा थी। जिसे भूर सिह कि मृत्यु के बाद उक्त भुमी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई एव प्रार्थीगण के नाम पुर्व जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता सख्या 52 खसरा संख्या 345/9 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा भूमी दर्ज रेकार्ड रही जो प्रार्थीगणकि पुर्व आराजीयात खसरा संख्या 341/2 , 343/2, 344 रकबा के पास स्थित थी जिसके वर्तमान सेटलमेंट होने से उक्त भूमी के नये आराजी सख्या 588 रकबा 0.3800 हैक्टर दर्ज रेकार्ड हुआ जिसके समीप ही प्रार्थीगण के अन्य खसरे खसरा संख्या 583 , 582 आदी स्थित है। प्रार्थीगण कि उक्त वादग्रस्त भूमी पर प्रार्थीगण के पिता भूर सिह के समय से ही निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कब्जा कास्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही भूमी पर काबिज है एव भूमी का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण की वादीगण के समीप कोई भूमी स्थित नही है फिर भी प्रतिवादीगण जो वादी के पारीवारिक सदस्य भी है बिना किसी हक हकुक व अधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा करने एव हडपने कि नियत से वादीगण की भूमी पर जबरन दादागिरी से प्रवेश कर विवाद उत्पन्न कर रहे है वादीगण मरने मारने कि धमकिया दे रहे है एवं वादीगण कि भूमी पर जबरन कानून को हाथ में ले दिनांक 13.09.2020 को पत्थर डला दिये जबकि वादीगण मौके पर गये एव प्रतिवादी को बना किया तो प्रतिवादीगण आग बबुला हो ऐलानिया मरने मारने कि धमकिया दे लडाई झगडा पर उतारू हो गये एवं प्रतिवादीगण कहने लगे कि हम तो उक्त भूमी पर कब्जा करेगे एवं तुम यहा आये तो तुम्हारे साथ हम बुरा बर्ताव करेगे एव मारेगें। प्रतिवादीगण बिना किसी हक हकुक व अधिकार के मौके पर अशान्ती करने पर आमदा है वादीगण के हक हकुक व अधिकारो के विपरीत प्रतिवादीगण बिना किसी हक के महज दादागिरी के बल बुते वादीगण को अपने कास्तकारी अधिकारो से महरूम रखना चाहते है एवं वादीगण के कास्तकारी अधिकारो से महरूम होना पड रहा है। जबकि वादीगण उक्त भूमी के राजस्व खातेदार है व

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

कब्जे दार है उक्त भूमी राजस्व नक्से में तरमीम है भूमी प्रतिवादीगण के कही पास स्थित नही है मात्र वादीगण की भूमी प्रतिवादीगण कि हडपने कि नियत ही है। वादीगण चन्द्रवीर सिह पैसे से अध्यापक है एव वर्तमान में रायपुर जिला भीलवाडा में कार्यरत है एवं प्रार्थीगण पुनम कंवर व पुष्पा कवंर वर्तमान में जोधपुर में निवास कर रहे है प्रतिवादीगण स्थानीय होकर गिरोह बनाकर वादीगण कि भुमी हडपने हेतु प्रयास करते हुये धमकिया दे रहे है। वादीगण आप न्यायालय से प्रतिवादीगण की भूमि से स्थाई निशेधाज्ञा चाहते है कि वादीगण की राजस्व खातेदारी भूमी जो नक्शे तरमीम में स्थित है उसमें प्रतिवादीगण स्वयं , अपने नौकर चाकर, ऐजेन्ट या अन्य किसी के मार्फत भी प्रवेश नही करे न ही वादीगण की भूमी में कोई खुद बुर्द करने का प्रयास उत्पन्न करे। वादीगण की भूमी मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे वादीगण द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट उत्पन्न नही करे । प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है जिससे वादीगण विधिक रूप से अपने कास्तकारी अधिकारों उपयोग उपभोग कर सके। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी हक हकुक अधिकारो से दिनाक 13.09.2020 को वादीगण कि भूमी पर प्रवेश करने का प्रयास करना एव पत्थर डाले एव धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निन्तर जारी है यहा वाद हेतुक उत्पन्न होकर वाद स्थाई निशेधाज्ञा का आप न्यायालय में प्रस्तुत है। वादीगण निम्न दाद चाहता है कि वादीगण की ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तहसील देवगढ की सीमा मे वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 588 रकबा 0.3800 हेक्टर कुल किता 1 रकबा 0. 3800 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट या अन्य किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का अवैद्य रूप प्रार्थीगणकी भुमि पर प्रवेश नहीं करे , न ही वादीगण कि जा रही कास्त पर कोई दखल अन्दाजी करे साथ ही वादीगण की भूमी में को खुद बुर्द करने का प्रयास उत्पन्न नही करे वादीगण भूमी मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे वादीगण द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट उत्पन्न नही करे इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावे एव इसी आशय की डिकी वादीगण के पक्ष मे जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के समर्थन पुनम कंवर, चन्द्रवीरसिंह के शपथ पत्र पेश किए गए। वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित बिन्दु अनुसार विभाजन किये जाने की बात दोहराई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 588 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

चन्द्रवीरसिंह व अन्य बनाम प्रहलादसिंह व अन्य
प्र0सं0–: 29 / 2020(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–22 / 01 / 2025
अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :–29 / 2020
अनवान

1. चन्द्रवीर सिह पिता भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. पुनम कंवर पिता भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
3. पुष्पा कंवर पत्नि भूर सिह राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

––वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद सिह पिता नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. मानवेन्द्रसिह पिता नारायण सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. लोकेन्द्र सिह पिता प्रहलाद सिंह जाति राजपुत निवासी पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – अनुपस्थित।

मे इस आशय मे दिनांक 22 / 01 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तहसील

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

देवगढ की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 588 रकबा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, उत्पन्न नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)